

मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 06/10/2023

क्रमांक:F-1/2/7/0002/2023/Sec-1-10:: विभागीय आदेश क्रमांक एफ 3-01/1999/10-1, दिनांक 27 जून 2008 द्वारा वन सुरक्षा के दौरान शहीद वनकर्मियों के आश्रितों को रुपये 10 लाख अनुग्रह राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किये गये हैं।

2/ राज्य शासन एतद्द्वारा वनों एवं वन्यप्राणियों की सुरक्षा में शहीद हुये वनकर्मियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा शहीद घोषित करते हुये आश्रितों को रुपये 10 लाख से बढ़ाकर रुपये 25 लाख की विशेष अनुग्रह अनुदान प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अशोक कुमार)
अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ० क्रमांक:F-1/2/7/0002/2023/Sec-1-10,
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 06/10/2023

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 93 दिनांक 04.10.2023 के अनुक्रम में सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, माननीय वन मंत्रीजी, भोपाल।
4. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म० प्र०, भोपाल की ओर उक्त आदेश से अपने अधीनस्थ समस्त कार्यालयों को अवगत कराने हेतु।
7. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
8. समस्त मुख्य वनसंरक्षक/क्षेत्र संचालक/वनमण्डलाधिकारी.....
9. गार्ड फाईल।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग